

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-
(पत्रांक-85/2025 दिनांक 26.03.2025)
दिनांक-26.03.2025 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-

अन्तर्जनपदीय चोरी गैंग का खुलासा, चोरी के 03 अदद मोटर साइकिल, 01 अदद पम्पिंग सेट, 01 अदद मोटर पम्प, 02 अदद टुल्लू पम्प व 04 अदद सोलर पैनल व 01 अदद बैट्री (कुल बरामदगी कीमत लगभग 04 लाख 50 हजार रुपये) के साथ 04 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कसया श्री कुन्दन सिंह के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 26.03.2025 को थाना अहिरौली बाजार पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान थाना अहिरौली बाजार क्षेत्र से 04 अभियुक्तों 1. अनीश यादव पुत्र झिन्नू यादव साकिन विशुनपुरा थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर, 2. विशाल राजभर उर्फ साधू पुत्र सीताराम साकिन विशुनपुरा थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर, 3. सुनील सिंह उर्फ भुअर पुत्र राजेन्द्र सिंह साकिन विशुनपुरा थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर व 4. भुआल राजभर पुत्र स्व0 धनवन्त राजभर साकिन विशुनपुरा थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उनके निशानदेही पर चोरी के 03 अदद दोपहिया मोटर साइकिल (पल्सर, हीरो स्पेलेण्डर प्रो व प्लेटिना बिना नम्बर की), 01 अदद पम्पिंग सेट, 01 अदद मोटर पम्प, 02 अदद टुल्लू पम्प, 04 अदद सोलर पैनल, 01 अदद बैट्री की बरामदगी, 02 अदद मोबाइल फोन की बरामदगी की गयी। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 96/2025 धारा 303(2), 317(2), 317(5) बी.एन.एस में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



अपराध करने का तरीका-

अभियुक्तों द्वारा पूछ-ताछ में बताया गया कि उनका एक संगठित गिरोह है जो अपने साथियों के साथ मिलकर पहले घूम-घूम कर जनपद कुशीनगर व आस-पास के जनपदों में रेकी करते हैं और जहां सुनसान जगह पाते हैं वहां पर स्थित सामानों को चिन्हित कर मौका मिलते ही चुरा लेते हैं तथा चुराये गये सामान को बेच देते हैं और उससे प्राप्त पैसों को आपस में बांट लेते हैं। दिनांक 22.03.2025 को थाना अहिरौली बाजार के छपिया गांव के इट भट्टे पर हम लोगे द्वारा ही चोरी कारित की गयी थी।

पंजीकृत अभियोग/अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 758/2024 धारा 303(2) बी0एन0एस0 थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 120/2025 धारा 303(2) बी0एन0एस0 थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर
3. मु0अ0सं0 96/2025 धारा 303(2)/317(2)/317(5) बी0एन0एस0 थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. अनीश यादव पुत्र झिन्नू यादव साकिन विशुनपुरा थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
2. विशाल राजभर उर्फ साधू पुत्र सीताराम साकिन विशुनपुरा थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
3. सुनील सिंह उर्फ भुअर पुत्र राजेन्द्र सिंह साकिन विशुनपुरा थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
4. भुआल राजभर पुत्र स्व0 धनवन्त राजभर साकिन विशुनपुरा थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर

बरामदगी विवरण- *(कुल बरामदगी कीमत लगभग 04 लाख 50 हजार रुपये)*

- 1- 03 अदद दोपहिया मोटर साइकिल (पल्सर, हीरो स्पेलेण्डर प्रो व प्लेटिना बिना नम्बर की),
- 2- 01 अदद पम्पिंग सेट,
- 3- 01 अदद मोटर पम्प,



- 4- 02 अदद टुल्लू पम्प,
- 5- 04 अदद सोलर पैनल,
- 6- 01 अदद बैट्री की बरामदगी,
- 7- 02 अदद मोबाइल फोन

गिरफ्तार करने वाले टीम का नाम:-

1. थानाध्यक्ष श्री दिनेश कुमार थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 श्री गिरजेश कुमार थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
3. उ0नि0 शुभम कुमार भार्गव थाना अहिरौली बाजार कुशीनगर
4. उ0नि0 जुगेश कुमार आनन्द थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
5. हे0कां0 रामनिवास भार्गव थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
6. कां0 देवेन्द्र यादव थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
7. कां0 विजय यादव थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
8. कां0 धर्मेन्द्र कुमार थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
9. कां0 शिवप्रकाश थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर

अन्तर्राज्यीय शराब तस्करी गैंग का पर्दाफाश, मीनी ट्रक वाहन से तस्करी कर बिहार हेतु ले जायी जा रही 40 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब भिन्न-भिन्न ब्राण्ड की (वाहन सहित कुल कीमत लगभग 10 लाख रुपये) के साथ 02 शराब तस्कर गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर श्री अभिषेक प्रताप अजेय के नेतृत्व में अवैध शराब बिक्री/निष्कर्षण/परिवहन के विरुद्ध चलाये जा



रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 26.03.2025 को थाना कोतवाली पडरौना पुलिस द्वारा एक ट्रक टाटा कंपनी वाहन संख्या WB 73 B 4455 से कुल 22 पेटी ऑफिसर चॉइस टेट्रा पैक व 18 पेटी 8 पीएम टेट्रा पैक अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 2 नफर अभियुक्तों 1. संतोष कुमार पुत्र रामबाबू राम निवासी ग्राम कटारु थाना पारु जिला मुजफ्फरपुर बिहार व 2. जहीर आलम पुत्र मोहम्मद यूसुफ मियां निवासी ग्राम बड़ादाउत थाना पारू जिला मुजफ्फरपुर बिहार को गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 158/2025 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध का विवरण-

पुछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि हम लोग यह शराब जनपद कुशीनगर और आस-पास के जनपदों से अवैध रूप से लादकर इसको मीनी ट्रक वाहन से बिहार ले जाते हैं और वहां ले जाकर अधिक मुल्य पर बेच देते हैं।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 158/2025 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. संतोष कुमार पुत्र रामबाबू राम निवासी ग्राम कटारु थाना पारु जिला मुजफ्फरपुर बिहार
2. जहीर आलम पुत्र मोहम्मद यूसुफ मियां निवासी ग्राम बड़ादाउत थाना पारू जिला मुजफ्फरपुर बिहार

बरामदगी विवरण- (वाहन सहित कुल कीमत लगभग 10,00,000/- रुपये)

1. 22 पेटी ऑफिसर चॉइस टेट्रा पैक अवैध अंग्रेजी शराब
2. 18 पेटी 8 पीएम टेट्रा पैक अवैध अंग्रेजी शराब



3. एक अदद टाटा ट्रक वा0नं0 WB 73 B 4455

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री रवि कुमार राय थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 विपिन सिंह चौकी प्रभारी बांसी थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर
3. हे0का0 उपेंद्र कुमार सिंह थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर
4. हे0का0 सुनील कुमार सिंह थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर
5. का0 ज्ञानप्रकाश सूर्यवंशी थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर
6. का0 चन्दन यादव थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर

थाना को0 पडरौना पुलिस द्वारा एक नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 26.03.2025 को थाना को0 पडरौना पुलिस द्वारा मु0न0 626/2022 से सम्बन्धित वारण्टी शाकिर पुत्र शहादत सा0 अडरौना थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0न0 626/2022

गिरफ्तार वारण्टी-

शाकिर पुत्र शहादत सा0 अडरौना थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर



गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्र०नि० रवि कुमार राय थाना को० पडरौना जनपद कुशीनगर
2. उ०नि० शनि जावला थाना को० पडरौना जनपद कुशीनगर
3. का० रमेश पाल थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर

थाना हनुमानगंज पुलिस द्वारा एक नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 26.03.2025 को थाना हनुमानगंज पुलिस द्वारा मु०नं० 482/2015 धारा 363/366/376 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वारण्टी दुःखी पुत्र रामबरन सा० बुलहवा टोला पथलहवा थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु०नं० 482/2015 धारा 363/366/376 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट

गिरफ्तार वारण्टी-

दुःखी पुत्र रामबरन सा० बुलहवा टोला पथलहवा थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्र०नि० श्री मनीष कुमार पाण्डेय थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर



2. का0 विकास कुमार यादव थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर
3. का0 ज्ञानप्रकाश थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर
4. का0 विक्रान्त शुक्ला थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर

थाना रविन्द्रनगर धूस पुलिस द्वारा धोखा-धड़ी आदि के मुकदमें में 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 26.03.2025 को थाना रविन्द्रनगर धूस पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 131/2024 धारा 420,467,468,471,506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त अभिषेक कुमार राव उर्फ अभिषेक कुमार सिंह पुत्र जयराम सिंह सा0 नरसर थाना कसया जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 131/2024 धारा 420,467,468,471,506 भादवि थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

अभिषेक कुमार राव उर्फ अभिषेक कुमार सिंह पुत्र जयराम सिंह सा0 नरसर थाना कसया जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1-थानाध्यक्ष विनय कुमार मिश्रा थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर
- 2-उ0नि0 सौरभ द्विवेदी थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर
- 3-उ0नि0 गनेश प्रजापति थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर



4-का0 श्रवण गुप्ता थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर
5-का0 प्रमोद सिंह यादव थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर

थाना कसया पुलिस द्वारा चोरी के वाटर पम्प के साथ एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा अपराध एव अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 26.03.2025 को मु0अ0सं0 177/2025 धारा 305 बीएनएस से सम्बन्धित वाछितं अभियुक्त गोलू सिंह पुत्र सुबाष सिंह निवासी गोपालगढ महुअवा थाना कसया जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक अदद चोरी का वाटर पम्प बरामद किया गया है। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग/अपराधिक इतिहात-

01. मु0अ0सं0 0177/2025 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना कसया जनपद कुशीनगर

02. मु0अ0सं0 578/2024 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना कसया जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

गोलू सिंह पुत्र सुबाष सिंह निवासी गोपालगढ महुअवा थाना कसया जनपद कुशीनगर

बरामदगी का विवरण:-

एक अदद चोरी का वाटर पम्प बरामद

गिरफ्तार करने वाली टीम:-



1. उ0नि0 श्री मनोज कुमार पाण्डेय थाना कसया जनपद कुशीनगर
2. का0 उमाशंकर यादव थाना कसया जनपद कुशीनगर
3. का0 अमित यादव थाना कसया जनपद कुशीनगर
4. का0 रामकृष्ण यादव थाना कसया जनपद कुशीनगर

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 34 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में=

- 1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-05, ई-चालान-114 वाहन
- 2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-48, व्यक्ति-129
- 3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(10)
- 4- जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-44)

सोशल मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर

